[2021] 3 एस. सी. आर 317

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. के माध्यम से

शुक्ला आई. ए. एस. (आर. ई. टी. डी)

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2019 की लिखित याचिका (सी) संख्या 1236)

20 अप्रैल, 2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, संजय किशन कौल और

सूर्या कान्ट, जे. जे.]

भारत का संविधानः

कला. 224 ए-उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति-साथ ही उच्च न्यायालयों में 57 लाख मामले लंबित हैं।

नियुक्ति, नियुक्तियों की संख्या, तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका, वेतन और भत्ते आदि तय किए जाने हैं ताकि एकरूपता के कुछ तत्व को सुगम बनाया जा सके क्योंकि समय-समय पर समीक्षा की जाएगी - प्रस्तावित दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है, जारी रखने की अवधारणा उचित होगी इस प्रकार, कला के आह्वान के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं। 224 ए.

कलाएँ। 217 , 224 और 224 क-स्थायी और

उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश-पालन की जाने वाली प्रक्रिया-समझाया गया।

कला. 224 - का उद्देश्य-समझाया गया।

कला. 224 ए-ऐतिहासिक परिप्रेक्षय-समझाया गया।

संवैधानिक न्यायशास्त्र-निरंतरता

अवधारणा-आयोजितः " कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निर्देश जारी करने की एक प्रथा है-एक लिखित उपचार के विपरीत, एक निरंतर आदेश एक नवीन प्रक्रिया है।

यह एक ठोस आधार नहीं है जो न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आधार प्रदान करता है कि किसी निर्णय के लाभ सही धारकों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसकी प्राप्ति प्रशासनिक और/या राजनीतिक पुनरावृत्ति से बाधित नहीं होती है-यह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक साधन है कि न्याय का प्रशासन मूर्त लाभों में बदल जाए।

दिशा-निर्देश जारी करना और मामले को आगे सूचीबद्ध करना, न्यायालय

पकड़ना: 1.1 यह कहना तुच्छ है कि हमारे देश में एक डॉकेट विस्फोट हुआ है और निर्णय लेना मुश्किल है।

अतिरिक्त न्यायाधीश) पिछले दो वर्षों में। हर साल होने वाली कई रिक्तियों को मुश्किल से नई नियुक्तियों से भरा जाता है। इस प्रकार, नियुक्ति लाना एक अधूरी चुनौती बनी हुई है। ऐसी संख्या के लिए प्रक्रिया जो रिक्तियों को कवर करने में सक्षम हो

विद्यमान और उद्भूत। [पैरा 20] [336-ए-सी]

1.2 संविधान द्वारा परिकल्पित और कॉलेजियम प्रणाली में स्पष्ट की गई नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली यह स्पष्ट करती है कि पहला कदम उस उच्च न्यायालय की ओर से तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आवश्यक प्रतिभा की पहचान करने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि

सिफारिशें। कुछ चित्रित मान्यताओं के विपरीत, जैसे कि यह एक अत्यंत व्यक्तिपरक प्रणाली है, प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को वास्तव में विभिन्न स्रोतों से नाम मांगने की आवश्यकता होती है, चाहे वह वर्तमान न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या बार के प्रमुख सदस्य हों। इस प्रतिभा समूह से ही वह कॉलेजियम के समक्ष चर्चा के बाद सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इस प्रकार, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति प्रक्रिया के सफलतापूर्वक काम करने के लिए सिफारिशों का प्रवाह जारी रहे। मौजूदा और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को हमेशा जाना जाता है, क्योंकि एक न्यायाधीश अपने 62 वें जन्मदिन पर उच्च न्यायालय में पद छोड़ देता है।

एकमात्र अपवाद अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) बनाम के माध्यम से लोक प्रहरी हो सकता है। भारत और ओआरएस का संघ।

यदि कुछ सिफारिशें रास्ते में आती हैं, तो उचित समय के बाद रिक्तियों को भरा जा सकता है। रिक्तियों की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से कुछ बड़ी अदालतों में बहुत कम सिफारिशों के साथ इस समस्या की उत्पत्ति प्रतीत होती है। [पैरा 22] [337-ए-सी] 1.4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में से एक उपयुक्त की पहचान करना है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उम्मीदवार और बारी-बारी से सिफारिशें करते हैं। की सिफारिश की पाइपलाइन

न्यायाधीशों को प्रवाहित रखा जाना चाहिए ताकि रिक्तियों को पूरा किया जा सके। एक बार सिफारिश किए जाने के बाद, राज्य सरकारों की राय मांगी जाती है और साथ ही खुफिया ब्यूरो से भी जानकारी ली जाती है। सिफारिशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के समक्ष रखने से पहले केंद्र सरकार द्वारा सभी तरीकों से संसाधित किया जाता है। यह कुछ चिंता का एक और क्षेत्र है क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जो लंबे समय से लंबित हैं-हालांकि इन न्यायिक कार्यवाही में उठाए गए कुछ प्रश्नों को देखते हुए, अब स्थिति में सुधार हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नाम भेजे जाने से पहले की कुल समय अवधि चार महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। [पारस 24,25] [338-बी-ई] [2021] 3 एस. सी. आर.

1.5 उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम, जो पहले तीन न्यायाधीश हैं, इसके बाद इन नामों पर विचार करता है:

परिषद् न्यायाधीशों की राय प्राप्त करना। जिन नामों को कॉलेजियम की मंजूरी मिलती है, उनकी सिफारिश की जाती है

भारत संघ में नियुक्ति। उस स्तर पर, सरकार या तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ती है या उसके पास कुछ न्यायाधीश हो सकते हैं।

आरक्षण, इस मामले में नियुक्ति पर उनके आरक्षण के साथ सिफारिशों को वापस करना उनके अधिकार के भीतर होगा। पुनर्विचार पर, यदि सिफारिश को प्रचलित कानूनी स्थिति के संदर्भ में दोहराया जाता है, तो

नियुक्ति करनी होगी। इसमें देरी चिंता का विषय है क्योंकि कॉलेजियम की सिफारिश लंबे समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उक्त प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। कुछ अदालतों में सक्षम और वरिष्ठ वकीलों को राजी करना एक चुनौती है जिनके पास बड़ी संख्या हो सकती है।

न्यायाधीश के पद को स्वीकार करने के लिए प्रथाएं, और लंबे समय तक उनके नामों का लंबित रहना प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम है। उन्हें। तथ्य यह है कि उक्त प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कई वर्षों से रिक्तियों को नहीं भरा गया है। ऐसा नहीं है कि खाली पद एक छोटा सा अंश हैं, जैसा कि यह देखा गया है कि वे हैं

लगभग 40 प्रतिशत रिक्तियों का आंकड़ा। [पारस 26,27] [338 ई-एच; 339-ए] 1.6 इसमें कोई संदेह नहीं है कि बढ़ते बकाया और मौजूदा रिक्तियों की चुनौती के लिए संविधान के अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से पुराने मामलों को निपटाने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान, जो प्रतिभाओं का एक तैयार समूह है (निश्चित रूप से उनकी सहमति के अधीन)। स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या का उपयोग वर्तमान और पुराने मामलों के लिए किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त होते हैं। वे पुराने मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो प्रणाली में अटके हुए हैं और अधिक की आवश्यकता हो सकती है। अनुभव। यही प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि यह किसी भी तरह से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित या सीमित नहीं करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति मांगी जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह काफी हद तक एक अस्थायी कार्यप्रणाली है जब तक कि सभी नियुक्ति प्रक्रियाएं लागू नहीं हो जाती हैं, हालांकि यह उक्त अनुच्छेद का सहारा लेने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।

[पैरा 40,42] [342-ई-एफ; 343-बी-सी] लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से। भारत और ओआरएस का संघ।

1.7 यह न्यायालय ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित नहीं करना चाहेगा जहां अनुच्छेद 224ए को निर्माण में निष्क्रियता के लिए रामबाण के रूप में मांगा गया है।

नियमित नियुक्तियों के लिए सिफारिशें। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, कुछ नियंत्रण और संतुलन प्रदान किए जाने चाहिए ताकि अनुच्छेद 224ए का सहारा केवल

पूरे परिदृश्य को देखते हुए जहां कभी-कभी किसी विशेष स्तर पर आवश्यक प्रतिभा को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जिसे कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालाँकि, निश्चित रूप से, यह नहीं हो सकता है माना कि अनुच्छेद 224ए का सहारा लेकर बड़ी संख्या में रिक्तियों के लिए कोई या बहुत कम सिफारिशें की जाती हैं। [पैरा 43] [343-सी-ई]

1.8 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। में।

उक्त पक्षकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अभ्यास, संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत निहित अधिकार के लिए संबंधित न्यायाधीश से पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी, और उस सिफारिश को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के माध्यम से भेजा जाना होगा। बेशक, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति (जैसा कि सलाह दी गई है) आवश्यक है-लेकिन इस नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की है, जो अपनी न्यायिक नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरा है, अधिकतम तीन महीने की अवधि सभी चरणों से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह बदले में होगा यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कम से कम तीन महीने पहले प्रारंभिक कदम उठाते हैं ताकि इस संबंध में कोई अनावश्यक देरी न हो। [पैरा 44] [344-ए-सी]

एसपी गुप्ता बनाम। भारत संघ [1982] 2 एस. सी. आर. 365; सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड v. भारत संघ (1993) 4 एस. सी. सी. 441 [1993] 2 पूरक। एससीआर 659; पुनः: विशेष। 1998 ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 1 का संदर्भ 1: [1998] 2 पूरक। एस. सी. आर. 400; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन और एन. आर. वी. भारत संघ 2015 11 स्केल

1 - संदर्भित किया गया।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.9 नियुक्ति के तरीके में अंतर है

उच्च न्यायालय में स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश। इस प्रकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के दो परिदृश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उत्पन्न होते हैं और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जानी चाहिए (अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति को संदर्भित करता है)। दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति भले ही भारत के संविधान के उसी अध्याय 5 का हिस्सा हो, एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होती है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी भी व्यक्ति से अनुरोध करने का प्रावधान है जो उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाल चुका है और उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करता है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव को मुख्य न्यायाधीश को सूचित करना होता है कि

उच्च न्यायालय और एमओपी के अनुसार भारत के राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करना। एमओपी को एक प्रशासनिक चर्चा के तहत तैयार किया गया है और इसे इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून नहीं कहा जा सकता है। यह हमेशा विविध हो सकता है। [पैरा 45] [344-डी-जी]

इस बात का पहलू कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन उपयुक्त न्यायाधीश होगा और उस व्यक्ति को किस समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाना है। यह बदले में विभिन्न प्रकार के मामलों के लंबित होने के आंकड़ों और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में न्यायाधीश की विशेषज्ञता पर निर्भर करेगा जहां बड़ी मात्रा में लंबित हैं-क्योंकि इसका उद्देश्य पुराने मामलों को निपटाना है जो प्रणाली में फंसे हुए हैं। प्रणाली में पारदर्शिता रखने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर इस तरह का विचार आवश्यक हो जाता है। [पैरा 46] [344-जी-एच; 345-ए-बी] 1.11 भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक तदर्थ न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य भत्तों के पहलू पर, यह कहना तुच्छ है कि काम की स्वैच्छिक प्रकृति के बावजूद कोई भी उस से कम भत्तों को स्वीकार नहीं करना चाहेगा जो एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य हैं। इस प्रकार, वही मौद्रिक लाभ और विशेषाधिकार एक तदर्थ न्यायाधीश को देय/उपलब्ध होने चाहिए जो एक न्यायाधीश को पेंशन को घटाकर स्वीकार्य हैं। यही एकमात्र तरीका हो सकता है

पालन करना उचित माना जाता है।

[पैरा 48] [345-सी-डी] लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) v. भारत और ओआरएस का संघ।

1.12 रखे गए विभिन्न सुझावों का एक सामान्य विषय

यह है कि प्रावधान को सक्रिय करने की निश्चित आवश्यकता है। विभिन्न पहलुओं के संबंध में धारणाओं में अंतर हैं। जैसे, प्रावधान को सक्रिय करने के लिए प्रेरक बिंदु, प्रतिबंध की स्थिति का सुझाव, नियुक्ति की कार्यप्रणाली, तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका, आयु सीमा, नियुक्ति की अवधि आदि। इस निष्क्रिय प्रावधान का सहारा लेने में एकरूपता के कुछ तत्व को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देश देने की एक सामान्य आवश्यकता महसूस की गई है। यह भी एक सामान्य आधार है, जिसके साथ यह सहमति है कि दिशानिर्देशों को निर्धारित करते समय, इस प्रयोग की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता होगी और निर्धारित किए जाने वाले दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के अवसर हो सकते हैं। इस प्रकार, वर्तमान कार्यवाहियों को बंद करना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय वर्तमान कार्यवाहियों में जारी रखने की अवधारणा सबसे प्रभावी विधि तैयार करने के लिए उचित होगी।

संविधान के अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेना। [पैरा 49] [345-ई-जी]

1.13 जारी रखने का सिद्धांत संवैधानिक न्यायशास्त्र का हिस्सा है और इस शब्द का उपयोग इसके लिए किया गया था पहली बार विनीत नारायण बनाम। भारत संघ का मामला। कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निर्देश जारी करने की प्रथा को "निरंतर आदेश" के रूप में लेबल किया गया था। एक रिट उपचार के विपरीत, एक निरंतर आदेश एक नवीन प्रक्रिया है जो एक ठोस नहीं है जो न्यायालय को एक प्रभावी आधार की अनुमति देता है

यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्णय के फल का सही धारकों द्वारा आनंद लिया जा सके, और इसकी प्राप्ति प्रशासनिक और/या राजनीतिक हठधर्मिता से बाधित न हो। यह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक साधन है कि न्याय का प्रशासन मूर्त लाभों में बदल जाए। [पैरा 50] [345-एच; 346-ए-बी]

विनीत नारायण बनाम। भारत संघ (1998) 1 एससीसी 226:

[1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 595-पर निर्भर था।

1.14 इस बात पर जोर देते हुए कि अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेना आज की आवश्यकता है, और संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों के विस्तार को बाधित किए बिना, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहायता के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करना और प्रावधान को 'लाइव लेटर' बनाना उचित होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह एक सामान्य मामला है कि वर्तमान कार्यवाही [2021] 3 एस. सी. आर.

ये प्रतिकूल नहीं हैं, बल्कि कला के प्रावधान करने का एक तरीका है। 224 एक व्यावहारिक और कार्यात्मक व्यवस्था में ए। [पारस 51,52] [346-सी-डी, ई]

2. दिशानिर्देश:

आई. सक्रियण के लिए ट्रिगर प्वाइंट:

अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार बाधित नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा गया है, कुछ सामान्य

दिशा-निर्देश बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग पारदर्शी तरीके से किया जा सके। ट्रिगर प्वाइंट एकल नहीं हो सकता है और जहां एक से अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं-यदि रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हैं, किसी विशेष श्रेणी में मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं, लंबित मामलों का 10 प्रतिशत से अधिक पांच साल से अधिक पुराना है, निपटान की दर का प्रतिशत किसी विशेष विषय में या आम तौर पर अदालत में मामलों की स्थापना की तुलना में कम है, भले ही कई पुराने मामले लंबित न हों, लेकिन अधिकार क्षेत्र के आधार पर, बढ़ते बकाया की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है यदि निपटान की दर एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि में दाखिल करने की दर से लगातार कम है। [पैरा 53] [346-एफ-एच; 347-ए-सी]

ii. प्रतिबंध की स्थिति

अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेना नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सिफारिशें नहीं की गई हैं

20 प्रतिशत से अधिक नियमित रिक्तियों के लिए बनाए जाने पर अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इस न्यायालय के समक्ष रखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि केवल दस उच्च न्यायालयों में 20 प्रतिशत से कम रिक्तियां हैं; सात उच्च न्यायालयों में स्थायी नियुक्तियों में 10 प्रतिशत से कम रिक्तियां हैं, लेकिन फिर अतिरिक्त रिक्तियां हो सकती हैं।

न्यायाधीश और ऐसे मामले हैं जो विचाराधीन हैं। इस प्रकार, अपनाया गया मापदंड यह है कि अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों को छोड़कर सिफारिशें की जानी चाहिए थीं।

[पैरास 54,55] [347 सी-ई] लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) वी. के माध्यम से। भारत और ओआरएस का संघ।

iii. पूर्व-सिफारिश प्रक्रिया:

मामलों के निपटारे की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सिफारिशकर्ताओं के पिछले प्रदर्शन को चयन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य बैकलॉग को दूर करना है। मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। यह होगा

सेवानिवृत्ति की इच्छा पर न्यायाधीशों और आम तौर पर उन न्यायाधीशों के संबंध में जो हाल ही में अधिमानत: एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हुए हैं। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ न्यायाधीश पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, लेकिन किसी मामले में उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

विशेष विषय। एक ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जहां न्यायाधीश (न्यायाधीश) कुछ समय पहले छुट्टी लेना पसंद कर सकते हैं। एक छोटी पारी के बावजूद दूसरी पारी शुरू करना। पैनल की तैयारी में, सहमति लेने और लेने के लिए

विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायाधीश के साथ व्यक्तिगत बातचीत की जानी चाहिए। [पैरा 55] [347-एफ-एच; 348-ए]

iv. नियुक्ति की कार्यप्रणाली: एमओपी के पैरा 24 में नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है

अनुच्छेद 224 ए के तहत। यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस संबंध में निर्धारित कानून नहीं है, लेकिन पहले कदम के रूप में यह हो सकता है - एमओपी के पैरा 24 में निर्धारित इस प्रक्रिया का पालन करना अधिक उपयुक्त है ताकि प्रगति और बाधाओं, यदि कोई हो, को देखा जा सके। चूंकि न्यायाधीशों को पहले से ही नियुक्ति के वारंट के माध्यम से पद पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए ऐसे मामले में मामले को आईबी या अन्य एजेंसियों को भेजने का अवसर उत्पन्न नहीं होगा, जिससे समय अवधि कम हो जाएगी। [पैरा 56] [348-बी-सी]

वी. प्रक्रिया को पूरा करने का समय:

यह आवश्यकता कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिशें छह महीने पहले की जानी चाहिए

इस अवधारणा से निकलता है कि नियमित रूप से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उक्त अवधि की आवश्यकता होनी चाहिए।

अनुच्छेद 217 या 224 के तहत न्यायाधीश की नियुक्ति। उन पहलुओं की संख्या को देखते हुए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है

अनुच्छेद 224 ए के तहत नियुक्ति, लगभग तीन महीने की अवधि एक सिफारिश को संसाधित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए और, [2021] 3 एस. सी. आर.

इस प्रकार, आदर्श रूप से एक मुख्य न्यायाधीश को ऐसी नियुक्ति के लिए तीन महीने पहले प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। [पैरा 57] [348-डी-ई]

vi. नियुक्ति की अवधिः

वह कार्यकाल जिसके लिए एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है

आवश्यकता के आधार पर अलग-अलग होती है लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि निश्चितता का एक तत्व देने के लिए और जिस उद्देश्य के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, उसे देखते हुए, आम तौर पर नियुक्ति दो से तीन साल के बीच की अवधि के लिए होनी चाहिए। [पैरा 58] [348-एफ जी]

vii. नियुक्तियों की संख्याः

उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या दो से पांच के दायरे में होनी चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक तदर्थ न्यायाधीश (न्यायाधीश) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का हिस्सा नहीं होगा। उच्च न्यायालय जिसमें उनकी नियुक्ति की जाती है। [पैरा 59] [348-जी-एच]

viii. तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिकाः

ए। इसका प्राथमिक उद्देश्य लंबे समय से लंबित बकाया से निपटना है, इस प्रकार नियुक्त तदर्थ न्यायाधीशों को पांच साल से अधिक पुराने मामले सौंपकर उक्त उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। हालाँकि, यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विवेकाधिकार को बाधित नहीं करेगा, यदि आवश्यकताएँ किसी भी प्रकार की माँग करती हैं। विशेष विषय वस्तु से भी कम मामलों से निपटने के लिए

पाँच साल की उम्र, हालांकि प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि एक तदर्थ न्यायाधीश को कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि इस तरह का कार्यभार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो स्पष्ट करने के लिए है।

पुराने मामलों का बैकलॉग। [पैरा 60] [349-ए-सी]

पीठ और इस बारे में कि कौन अध्यक्षता करेगा, डिवीजन बेंच, वर्तमान में, केवल तदर्थ न्यायाधीशों का गठन किया जा सकता है क्योंकि ये पुराने मामले हैं जिन्हें उनके द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रोफ़ाइल की प्रकृति और इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) वी. के माध्यम से लोक प्रहरी बनने के लिए काम करने के कारण।

भारत और ओआरएस का संघ।

तदर्थ न्यायाधीशों द्वारा निष्पादित, किसी तदर्थ न्यायाधीश के लिए कोई अन्य कानूनी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह मध्यस्थता का सलाहकार हो या उपस्थिति का। [पैरा 61] [349-सी-डी]

ix. परिलब्धि और भत्ते:

ए। एक तदर्थ न्यायाधीश के परिलब्धि और भत्ते उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के बराबर होने चाहिए

न्यायाधीश की गरिमा को बनाए रखने के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में अन्य सभी कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। भुगतान किया जाने वाला परिलब्धि भारत की संचित निधि पर एक शुल्क होगा जिसमें वेतन और भत्ते शामिल होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह एक गलत धारणा है कि यदि कुछ अनुलाभ किए जाते हैं तो राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों को उपलब्ध कराया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कारण रिक्तियों का अस्तित्व है और यदि इन रिक्तियों को भरा जाता तो राज्य सरकार इन खर्चों को किसी भी तरह वहन करती। किसी भी मामले में

इस मामले में तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है और इस प्रकार, रिक्तियों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप वास्तव में राज्य सरकार (ओं) के लिए बचत होती है, जो अन्यथा उनके भत्तों और भत्तों के रूप में खर्च की गई राशि होगी। [पारस 62-63] [349-E H; 350-A]

तदर्थ न्यायाधीशों को अतिरिक्त न्यायाधीश दिए जाएंगे। स्पष्टता के लिए यह कहा जाता है कि जहां तक आवास का संबंध है, या तो किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए या आवास भत्ता उन्हीं नियमों और शर्तों पर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए तदर्थ न्यायाधीश को वही परिलब्धि, भत्ते और लाभ प्राप्त होंगे जो स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य हैं। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची, भाग डी में न्यायाधीशों को दिए जाने वाले परिलब्धियों और लाभों को निर्धारित किया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का। [पैरा 64] [350-ए सी]

3. पहला कदम इस उम्मीद और आकांक्षा के साथ उठाया गया है कि सभी संबंधित सह-संचालन करेंगे और सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायालय की रिपोर्ट की अध्यक्षता करेंगे।

21] 3 एस सी आर।

न्यायपालिका के व्यापक हित में आगे आएं और अपनी सेवाएं प्रदान करें। दिशा-निर्देश संपूर्ण नहीं हो सकते हैं और वह भी इस चरण से आगे। यदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो उन्हें हल करने का प्रयास किया जाएगा। आशंकाओं, यदि कोई हो, को इस मार्ग को निर्धारित करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए और आगे बढ़ने का एक रास्ता होगा। इसे ध्यान में रखते हुए

यह देखने के लिए एक निरंतर अनिवार्यता की आवश्यकता है कि शुरुआत कैसे की गई है, मामले को चार महीने के बाद सूचीबद्ध किया जाता है जिसमें न्याय मंत्रालय से प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा जाता है। [पारस 65-66] [350-D-E]

कृष्ण गोपाल बनाम। श्री प्रकाश चंद्र और अन्य। (1974)

1 एससीसी 128: [1974] 2 एस. सी. आर. 206; न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल बनाम. भारत संघ और ओआरएस। (2003) 7 एससीसी 726: [2003] 3

पूरक। एस. सी. आर. 286; भारत संघ बनाम। संकालचंद

हिमतलाल सेठ (1977) 4 एस. सी. सी. 193: [1978] 1 एससीआर 423; अन्ना मैथ्यू बनाम। एन. कन्नदासन 2009 (1) एल. डब्ल्यू. 87 (पागल)

47) ; अशोक तंवर और अनर। वी. एच. पी. और अन्य राज्य (2005) 2 एससीसी 104: [2004] 6 पूरक। एससीआर 1065; भारतीय

वकीलों की सोसायटी बनाम। भारत के राष्ट्रपति (2011) 5 सभी एल. जे. 455 (एफ. बी.); उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन वी। भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441: [1993]

2 पूरक। एस. सी. आर. 659; उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड

एसोसिएशन और ए. एन. आर. वी. भारत संघ (एन. जे. ए. सी. मामला) (2016)

5 एससीसी 1: [2015] 13 एस. सी. आर. 1-संदर्भित।

संविधान सभा बहस खंड। VIII, 181; 124 वां

विधि आयोग की रिपोर्ट; विधि की 79 वीं रिपोर्ट

2003 का आयोग; ए. एम. सिंघवी, "बीटिंग द न्याय प्रशासन में बैकलॉग सुधार

भारत ", एस. खुर्शीद आदि में। अल। , (एडीएस.) न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया, शक्तियाँ और समस्याएं (उनके सम्मान में निबंध)

उपेंद्र बख्शी), (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2020),

पृष्ठ 53-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1974] 2 एससीआर 206

पैरा

15

संदर्भित किया गया है

[2003] 3 पूरक। एससीआर 286

संदर्भित किया गया है

पैरा

16

[1978] 1 एससीआर 423

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) बनाम के माध्यम से। भारत और ओआरएस का संघ।

[2004] 6 पूरक। एससीआर 1065

संदर्भित किया गया है

पैरा

18

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा

30

[2015] 13 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

31

[1982] 2 एससीआर 365

पैरा

44

संदर्भित किया गया है

[1993] 2 पूरक। एससीआर 659

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

[1998] 2 पूरक। एससीआर 400

पैरा

44

संदर्भित किया गया है

(2015) 11 स्केल 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

उस पर भरोसा करें

[1997] 6 पूरक। एससीआर 595

पैरा

50

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सी) संख्या 1236

2019 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से। के. के. वेणुगोपाल, एजी, आर. एस. सूरी, ए. एस. जी., आत्माराम एन. एस. नाडकर्णी,

गौरव पचनंदा, रवींद्र श्रीवास्तव, अरविंद पी. दातार, विजय हंसारिया, अजीत कुमार सिन्हा, आर. बसंत, सौम्या चक्रवर्ती, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बी. के. सतीजा, रजत नायर, सुश्री नीला केदार गोखले, गुरमीत सिंह मक्कर, डी. एल. चिदानंद, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, आलोक कुमार पांडे, अश्विन कुमार डी. एस., सुश्री प्रीतिका द्विवेदी, दिव्यकांत लाहोटी, परीक्षित आहूजा, सुश्री प्रवीण बिष्ट, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, कार्तिक लाहोटी, सुश्री शिवांगी मल्होत्रा, जयगोपाल साबू, रोमी चाको, शक्ति चंद जैदवाल, अनिरुद्ध पी. मयी, साहिल टागोत्रा, सुश्री अवनी शर्मा, वी. एन. रघुपति, मोहम्मद। अपजल अंसारी, शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ ठाकुर, अर्जुन गर्ग,

सुश्री श्रुतिका गर्ग, सिबो शंकर मिश्रा, अशोक कुमार सिंह, राजीव सिन्हा, निरंजन साहू, उमाकांत मिश्रा, कुणाल चटर्जी, सुश्री मैत्रेयी

बनर्जी, प्रवर वीर मिश्रा, गोपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, विदुर द्विवेदी, मुकुल कुमार, सुश्री उत्तरा बब्बर, मनन बंसल, सुश्री श्वेता मोहता, अपूर्व कुरुप, सुश्री निधि मित्तल, अभिमन्यु तिवारी, पी. आई. जोस, सुश्री स्नेहा कालिता, प्रशांत के. शर्मा, सुश्री राधिका गौतम, ऐश्वर्या

सिन्हा, सुश्री प्रियंका सिन्हा, सुश्री शुभी शर्मा, टी. जी. नारायणन नायर, मनु कृष्णन, वी. बालचंद्रन, मेसर्स केएसएन एंड कंपनी के लिए सिद्धार्थ नायडू, संजय कुमार पाठक, अरविंद कुमार त्रिपाठी, सुश्री शशि पाठक, सुश्री अरुणा माथुर, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए अवनीश अर्पुथम, विनय अरोड़ा, नरेश के. शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

21] 3 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया था

न्याय

2. भारत भाग्यशाली था कि कुछ बेहतरीन लोगों ने हमारी संविधान सभा के सदस्यों के रूप में हमारे संविधान को तैयार करने पर काम किया। भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है, जो इससे संकेत लेता है विभिन्न लोकतंत्रों का अनुभव। हमारे संविधान के आवश्यक पहलुओं में से एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण रहा है।

3. भारत के संविधान के भाग VI का अध्याय V, अनुच्छेद 214 से शुरू होकर अनुच्छेद 239 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तों का प्रावधान करता है, जिसमें सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु 62 वर्ष है। हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर, यह दुनिया के अन्य लोकतंत्रों की तुलना में किसी राज्य के शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सबसे कम उम्र में से एक है।

4. अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। लेख में निर्धारित उद्देश्य किसी भी चीज़ का ध्यान रखना है।

उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि, या उसमें कार्य के बकाया के कारण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विधिवत योग्य एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति दो साल से अधिक की अवधि के लिए या जैसा कि राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, के लिए होनी चाहिए। हालाँकि, जमीनी वास्तविकता यह है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की संख्या निर्धारित करते समय, जो प्रथा अपनाई गई है, वह यह है कि लगभग 25 प्रतिशत संख्या में अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं।

5. वर्तमान मामले में, हम अनुच्छेद 224 ए से संबंधित हैं जो

यह नीचे लिखा है:

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति से उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार अनुरोध करता है। इस प्रकार रहते हुए और कार्य करते हुए, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे और उसके पास सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार हों, लेकिन अन्यथा ऐसा नहीं माना जाएगा -

उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनें: बशर्ते कि इस अनुच्छेद की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि उपरोक्त किसी व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की आवश्यकता है।

अदालत जब तक वह ऐसा करने के लिए सहमति नहीं देता।

6. उपरोक्त अनुच्छेद एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है और इसे इस तरह रखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को, जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाला है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सके। दूसरा पहलू यह है कि बैठते और कार्य करते समय, ऐसा न्यायाधीश ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करे और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार हों; लेकिन अन्य सभी उद्देश्यों के लिए उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। परंतुक में कहा गया है कि संबंधित न्यायाधीश से सहमति लेनी होगी। 7. इस जनहित याचिका में हमारे समक्ष याचिकाकर्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बड़ी संख्या में रिक्तियों के साथ-साथ बढ़ते बकाया एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और इन दोनों पहलुओं से निपटने के तरीकों में से एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेना है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्षय:

8. मसौदे में अनुच्छेद 224 ए को अनुच्छेद 200 के रूप में गिना गया था।

संविधान और 7 जून 1949 को संविधान सभा द्वारा चर्चा की गई। बहस उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्य और अवधि पर केंद्रित थी। तीन अन्य विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा की गई:

1) क्या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपनी नियुक्ति के लिए सहमति देनी होगी;

2) क्या एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद वेतन प्राप्त करता है; [2021] 3 एस. सी. आर.

9. बहस के कुछ हिस्सों से संकेत मिलता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को केवल उनकी विशेषज्ञता और मामलों को तय करने के अनुभव के लिए वापस आमंत्रित किया जाना था जो विशेष रूप से कठिन या महत्वपूर्ण थे; और यह कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बुलाना उचित नहीं हो सकता है और उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित बकाया का भुगतान करने के लिए कहा जा सकता है। दूसरी ओर, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के पीछे का इरादा अस्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के विकल्प के रूप में था, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार, तदर्थ न्यायाधीशों को अनिश्चित काल के लिए नियुक्त करने का इरादा नहीं था। उनके शब्दों में:

" मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपके पास कोई अस्थायी या अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं हैं तो आपको कुछ व्यवसायों के निपटारे के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना चाहिए, जिसके लिए किसी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समय पर एक अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करना संभव नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश "। 1.

थोड़े समय के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न तो पर्याप्त पाए गए और न ही संतोषजनक। इसे वर्तमान अनुच्छेद 224 द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग की गई थी, 1 7 जून 1949 को डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का भाषण, संविधान सभा की बहस, खंड। VIII, 181.

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति और अस्थायी रिक्तियों में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करना। 13. ऐसा प्रतीत होता है कि एक विधायी पुनर्विचार हुआ है क्योंकि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रावधान को फिर से पेश किया गया था।

संविधान (15 वां संशोधन) अधिनियम, 1963 द्वारा अनुच्छेद 224 ए। लोकसभा की बहसों में विशेष रूप से पुनः परिचय के पीछे के दर्शन का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसके पीछे के उद्देश्य से इसका विस्तार किया जा सकता है

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ नियुक्तियों की शुरुआत करना। बहसें दो दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, अर्थात, एक संभावित "संरक्षण के राक्षस" के बारे में चिंता और दूसरी ओर यह विचार व्यक्त किया जा रहा है कि कुछ महीनों के लिए बार के सदस्य को नियुक्त करने के बजाय एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वापस बुलाना संभवतः बेहतर था। हालांकि, तदर्थ न्यायाधीशों के कार्यकाल को तीन महीने तक सीमित करने की मांग करने वाले संशोधनों को संविधान में इस प्रावधान को शामिल करते हुए अस्वीकार कर दिया गया था।

न्यायिक दृष्टिकोणः

14. अब हम कुछ न्यायिक उदाहरणों में बहस किए जा रहे उपरोक्त प्रावधान से उत्पन्न होने वाले पहलुओं की ओर मुड़ते हैं।

15. कृष्ण गोपाल बनाम श्री प्रकाश चंद्र और Ors.[2]-a

इस न्यायालय की संविधान पीठ (पाँच न्यायाधीश) ने इस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत व्यक्ति को चुनाव याचिका पर मुकदमा चलाने का अधिकार है।

उसे सौंपी गई चुनाव याचिकाओं के निपटारे तक, जो भी पहले हो। उस संदर्भ में यह देखा गया कि यदि कोई व्यक्ति इसके तहत नियुक्त किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 224 ए को अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकारों के उद्देश्य से उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता था, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का सवाल कभी नहीं उठेगा। इस प्रकार इस प्रावधान को एक मृत पत्र नहीं बनाया जा सका। यह स्पष्ट किया गया था कि प्रावधान का प्रभाव एक काल्पनिक कल्पना पैदा करेगा और न्यायालय ने कहाः

" 15. (.....) इस प्रकार बैठने और कार्य करते समय अनुरोध किए गए व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे। ऐसा व्यक्ति अन्यथा एक नहीं माना जाएगा

2 (1974) 1 एससीसी 128।

21] 3 एस सी आर।

उस न्यायालय के न्यायाधीश। "इस प्रकार बैठते हुए और कार्य करते हुए" शब्द बताते हैं कि अनुरोध किए गए व्यक्ति के पास न केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार हैं, बल्कि वह उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी बैठता है और कार्य करता है। तब सवाल उठता है कि समापन शब्दों का क्या महत्व है "लेकिन अन्यथा नहीं होगा

उस न्यायालय का न्यायाधीश माना जाता है "। ये शब्द, हमारी राय में, इंगित करते हैं कि अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों में, शक्तियाँ और

इस प्रकार अनुरोध किए गए व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं माना जाएगा

उस न्यायालय के न्यायाधीश। शब्दकोष का अर्थ

और अधिकारिता, शक्तियों और विशेषाधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, अनुरोध किया गया व्यक्ति उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए, संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत उनका स्थानांतरण करने की अनुमति नहीं होगी। "मानित" शब्द के उपयोग से पता चलता है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 224-ए के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठता है और कार्य करता है, वह उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, लेकिन एक कानूनी कल्पना द्वारा उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाना चाहिए। अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार। (...) ”

16. ऐसे तदर्थ न्यायाधीश के भत्तों की पात्रता के मुद्दे पर, न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में। , 3 यह था

यह राय दी गई कि एक तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय का हिस्सा नहीं बन जाता है और इस प्रकार एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अवधि के लिए उसकी पेंशन की गणना करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार, तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के संदर्भ में अपने संवैधानिक पद को छोड़ने के बाद आगे के पेंशन लाभों का हकदार नहीं होगा।

17. सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता पर व्यक्त की गई कुछ रायों की ओर मुड़ना भी उचित हो सकता है। भारत संघ बनाम संकलचंद हिमतलाल सेठ, 4 में यह देखा गया कि

सहमति पर जोर देने का कारण यह था कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश नहीं हो सकता है

उनकी सहमति के खिलाफ एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए मजबूर। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह निर्धारित आयु में पद छोड़ने पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं रह जाता है और सेवा की शर्तों से बाध्य नहीं है। 3 (2003) 7 एससीसी 726।

4 (1977) 4 एससीसी 193।

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

18. यह जानने के लिए कि इस विशेष पहलू से कैसे निपटा गया था, उच्च न्यायालय की अधिक राय का उल्लेख करना उचित है। उच्च न्यायालय की राय। हालांकि अन्ना मैथ्यू बनाम एन. कन्नदासन में

यह मुद्दा सीधे सवाल में नहीं था, संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के पहलू को जोड़ा गया था। 5 "तदर्थ" अभिव्यक्ति पर दृष्टिकोण का संदर्भ केवल अनुच्छेद 224 ए और अनुच्छेद 127 में मौजूद है। उस संदर्भ में, एक संदर्भ था

अशोक तंवर और अन्र मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले (पाँच न्यायाधीशों) को दिया गया। बनाम। एच. पी. राज्य और अन्य। यहाँ, इस आशय की टिप्पणियां हैं कि कॉलेजियम के साथ परामर्श आवश्यक नहीं होगा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के लिए आवश्यक है किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करें। हालाँकि, यह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में नियुक्तियों से संबंधित मामला था और उस संदर्भ में, कॉलेजियम के साथ परामर्श आवश्यक नहीं समझा गया था। हालाँकि, अगर हम अशोक तंवर के मामले (ऊपर) के फैसले की ओर मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि वास्तव में अनुच्छेद 224 ए पर कोई वास्तविक चर्चा नहीं हुई थी। सवाल यह था कि क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16 (जिसमें राज्य को राज्य के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है) कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना मामले का पर्याप्त अनुपालन था।

19. हम जिस अंतिम न्यायिक दृष्टिकोण का उल्लेख करना चाहते हैं, वह इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडिया में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का है। वकील बनाम भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने विस्तृत रूप से निपटाया

संविधान के अनुच्छेद 224 ए की व्याख्या। यह देखा गया कि एक तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 216 के अंतर्गत नहीं आता है, और वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है इसलिए वह कार्य कर रहा है। राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त नहीं करते हैं, और केवल मुख्य न्यायाधीश को एक पूर्व न्यायाधीश से बैठने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 217 के खंड (1) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होती है। यही कारण है कि मौद्रिक पहलू से निपटने के दौरान

एक तदर्थ न्यायाधीश के परिलब्धि, यह कहा गया है कि पूर्व न्यायाधीश ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा दे सकें।

यह निर्धारित करें कि उसके पास सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे।

लेकिन अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

$ 2009 (1) एल. डब्ल्यू. 87 (मैड) (147)। 6 (2005) 2 एससीसी 104

7 (2011) 5 सभी एलजे 455 (एफबी)।

न्यायपालिका के सामने चुनौती

20. यह कहना ठीक नहीं है कि हमारे देश में डॉकेट विस्फोट हुआ है।

और यह कि एक उचित अवधि के भीतर निर्णय लेना मुश्किल है। इस संकट की स्थिति से निपटा जाना चाहिए। कुछ नवाचार हमेशा खेल का नियम होता है। वर्तमान संदर्भ में, के घोषित उद्देश्य के संबंध में शायद थोड़ा अलग दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए अनुच्छेद 224 ए तदर्थ न्यायाधीशों के लिए प्रावधान करता है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पिछले दो वर्षों में नियमित नियुक्तियों (स्थायी और अतिरिक्त दोनों न्यायाधीशों) में लगभग 40 प्रतिशत रिक्तियों की जमीनी वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। हर साल होने वाली कई रिक्तियों को मुश्किल से नई नियुक्तियों से भरा जाता है। इस प्रकार यह एक

नियुक्ति प्रक्रिया को ऐसी संख्या में लाने की अधूरी चुनौती जो मौजूदा और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को कवर करने में सक्षम हो। किसी को भी दोष देने का प्रयास किए बिना, एक जमीनी वास्तविकता बनी हुई है कि इसके कई कारण हैं।

21. संविधान द्वारा परिकल्पित और कॉलेजियम प्रणाली में स्पष्ट की गई नियुक्तियों की वर्तमान प्रणाली यह स्पष्ट करती है कि पहला कदम उस उच्च न्यायालय की ओर से तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आवश्यक प्रतिभा की पहचान करने के लिए व्यापक परामर्श की आवश्यकता होती है, ताकि सिफारिशें की जा सकें। कुछ चित्रित मान्यताओं के विपरीत, जैसे कि यह एक अत्यंत व्यक्तिपरक प्रणाली है, प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश को वास्तव में विभिन्न स्रोतों से नाम मांगने की आवश्यकता होती है, चाहे वह वर्तमान न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या बार के प्रमुख सदस्य हों। इस प्रतिभा समूह से ही वह कॉलेजियम के समक्ष चर्चा के बाद सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इस प्रकार यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रवाह

नियुक्ति प्रक्रिया के काम करने के लिए सिफारिशें जारी हैं

सफल रहा है। मौजूदा और उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को हमेशा जाना जाता है, क्योंकि एक न्यायाधीश अपने 62 वें जन्मदिन पर उच्च न्यायालय में पद छोड़ देता है। एकमात्र

अपवाद एक अप्रत्याशित घटना या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति हो सकती है। इस प्रकार, यह देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि बार और अधीनस्थ न्यायपालिका की सिफारिशों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सिफारिशें अच्छी तरह से पहले से की जाती हैं, मानदंडों के अनुसार लगभग छह महीने पहले, जिन्हें उचित समय अवधि माना जाता था जिसके भीतर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। इस पहलू पर हमारे द्वारा एक अन्य संबंधित मामले में जोर दिया गया है, अर्थात, टी. पी. (सी) संख्या।

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

22. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उपलब्ध प्रतिभा के आधार पर; यह देखते हुए कि बार से पदोन्नति के लिए आयु प्रोफ़ाइल 45 से 55 वर्ष के बीच है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां रिक्तियों के खिलाफ सभी सिफारिशें एक बार में करना संभव नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ भी निषेध नहीं करता है-या बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है-सिफारिशों के पहले सेट के परिणाम की अनावश्यक रूप से प्रतीक्षा किए बिना समय-समय पर सिफारिशें की जानी चाहिए। यदि यह निरंतर पाइपलाइन काम करती है और भले ही कुछ सिफारिशें रास्ते में गिरती हैं, तो उचित समय के बाद रिक्तियों को भरा जा सकता है। रिक्तियों की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से कुछ बड़ी अदालतों में बहुत कम सिफारिशों के साथ इस समस्या की उत्पत्ति प्रतीत होती है।

(अर्थात 7 प्रतिशत)। यह तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता को कम नहीं करता है, लेकिन इस विचार का समर्थन करता है कि भले ही मौजूदा रिक्तियां कम हों, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें अनुभवी न्यायाधीशों की विशेषज्ञता को तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता हो। दूसरी ओर, कलकत्ता उच्च न्यायालय में नियमित नियुक्तियों की सबसे अधिक रिक्तियों में से एक है। (44 %) लेकिन मद्रास (2.70 लाख मामले) की तुलना में आधे से भी कम बकाया है। ऐसे परिदृश्य में, यह स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों की संख्या का अभाव है जो बकाया पैदा करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है और इस प्रकार,

तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक और परिदृश्य को जन्म देना। में।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, जिसमें रिक्तियों की समस्या है, पिछले छह वर्षों में बकाया दोगुने से अधिक हो गया है। एन. जे. डी. जी. के आंकड़ों से पता चलता है कि लंबित मामले पिछले पांच वर्षों के भीतर दायर किए गए थे, जबकि 40 प्रतिशत लंबित मामले 5 से 20 साल पहले दायर किए गए थे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्राथमिक उद्देश्य बाद वाले न्यायाधीशों से निपटना है।

पाँच साल से अधिक समय से लंबित मामलों का समूह। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दातार द्वारा अभिलेख पर रखी गई नीचे दी गई तालिका उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न अवधि के लिए लंबित मामलों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाती है।

%

%

अपराधी

%

विशिष्टताएँ

सिविल

कुल

0 1 साल तक

622267

15.09

333345

1 3 साल तक

427302

1054504

25.57

676249

221226

3 5 साल तक

16.4

870536

5 10 साल तक

21.11

296231

10 20 साल तक

716419

17.37

289887

20 30 साल।। 109517 तक

1.6

ऊपर

30 75047

वर्षों

24. हम केवल इस बात पर जोर दे सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण में से एक

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का प्रशासनिक कार्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना और बदले में सिफारिशें करना है। न्यायाधीशों की सिफारिशों की प्रक्रिया जारी रखी जानी चाहिए ताकि रिक्तियों को पूरा किया जा सके।

25. एक बार सिफारिश किए जाने के बाद, राज्य की राय

सरकारों से अनुरोध किया जाता है और साथ ही खुफिया ब्यूरो ("आईबी") से भी जानकारी ली जाती है। सिफारिशों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के समक्ष रखने से पहले केंद्र सरकार द्वारा सभी तरीकों से संसाधित किया जाता है। यह कुछ चिंता का एक और क्षेत्र है क्योंकि ऐसे कई मामले हैं जो लंबे समय से लंबित हैं-हालांकि इन न्यायिक कार्यवाही में उठाए गए कुछ प्रश्नों को देखते हुए, अब स्थिति में सुधार हुआ है। हम केवल यह कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम को नाम भेजे जाने से पहले की कुल समय अवधि चार महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सिफारिशें उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की जाती हैं।

26. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो पहले तीन न्यायाधीश हैं,

इसके बाद परामर्शदाता न्यायाधीशों की राय प्राप्त करने के बाद इन नामों पर विचार किया जाता है। जिन नामों को कॉलेजियम की मंजूरी मिलती है, उन्हें भारत संघ में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया

जाता है। उस स्तर पर, सरकार या तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ती है या उसे कुछ आपत्तियां हो सकती हैं, इस मामले में यह उनके दायरे में होगा।

नियुक्ति पर उनकी आपत्तियों के साथ सिफारिशों को वापस करने का अधिकार। पुनर्विचार पर, यदि सिफारिश की जाती है दोहराया, प्रचलित कानूनी स्थिति के संदर्भ में, नियुक्ति की जानी है। इसमें देरी चिंता का विषय है क्योंकि

कॉलेजियम की सिफारिशें लंबे समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। उपरोक्त प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। हम ध्यान दे सकते हैं कि कुछ अदालतों में सक्षम और वरिष्ठ वकीलों को राजी करना एक चुनौती है, जिनके पास न्यायाधीश के पद को स्वीकार करने के लिए बड़ी प्रथाएं हो सकती हैं, और लंबे समय तक उनके नामों का लंबित रहना उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कम करता है।

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) बनाम. भारत और ओआरएस का संघ।

27. तथ्य यह है कि उपरोक्त प्रक्रिया का परिणाम नहीं निकला है

कई वर्षों से रिक्तियों को भरने में। ऐसा नहीं है कि रिक्त पद एक छोटा सा अंश हैं, जैसा कि हमने देखा है कि वे 40 प्रतिशत रिक्तियों के आंकड़े के आसपास घूम रहे हैं।

28. उपरोक्त प्रक्रिया को तैयार करने के बाद, दो प्रश्न उठते हैं:

1) इस प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए; और

2) जब तक रिक्तियों को भरा नहीं जाता है, तब तक ऐसा क्या है जो त्वरित निर्णय प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है?

29. उत्तरार्द्ध के लिए निस्संदेह अधिक संख्या में न्यायाधीशों की आवश्यकता है और इस प्रकार वर्तमान बहस बड़ी संख्या में मौजूदा रिक्तियों और लंबित बकाया के संदर्भ में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संविधान के मौजूदा अनुच्छेद 224 ए के उपयोग के उद्देश्यों के लिए उत्पन्न हुई है।

प्रक्रिया ज्ञापन:

30. भारत संघ ने दिनांक 13.04.2021 के अतिरिक्त हलफनामे के माध्यम से हमारे सामने एक प्रक्रिया ज्ञापन ("एमओपी") रखा था, जो

सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किया गया था।

वी. भारत संघ (द्वितीय न्यायाधीश मामला) ने "उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति" के लिए विशेष संदर्भ संख्या 1/1998 9 में दी गई सलाहकार राय के साथ पढ़ा। भारत संघ का कहना है कि अनुच्छेद 224 ए के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति एक

कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सहयोगात्मक प्रक्रिया और पैरा 24 में निर्धारित प्रक्रिया का तब तक पालन किया जा सकता है जब तक कि इसमें संशोधन नहीं हो जाता। द.

एम. ओ. पी. का प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:

" 24. संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति से उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। जब भी इस तरह की नियुक्ति की आवश्यकता होगी, मुख्य न्यायाधीश संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के बाद मुख्य न्यायाधीश को सूचित करेंगे। राज्य मंत्री सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम और अवधि

जिसके लिए उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठना और कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के साथ विचार-विमर्श के बाद,

8 (1993) 4 एस. सी. सी. 441

9 (1998) 7 एससीसी 739 [2021] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी सिफारिश केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री को भेजें। केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री तब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। सीजेआई की सलाह मिलने पर इसे प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा, जो राष्ट्रपति को उस व्यक्ति के बारे में सलाह देंगे जिसे इसमें नियुक्त किया जाना है।

और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें। जैसे ही राष्ट्रपति नियुक्ति के लिए अपनी सहमति देंगे, न्याय विभाग में भारत सरकार का सचिव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को सूचित करेगा और भारत के राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करेगा।

31. हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ('एन. जे. ए. सी.') को लागू करने का बाद का प्रयास संवैधानिक संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और ए. एन. आर. में संवैधानिक चुनौती का सामना नहीं कर सका। वी. भारत संघ (एन. जे. ए. सी. मामला) "। इसमें यह देखा गया कि एम. ओ. पी. में संशोधन की प्रक्रिया को कार्यपालिका द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस संबंध में न्यायपालिका का अंतिम दृष्टिकोण चर्चा के बाद भेजा गया था और उपरोक्त में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एमओपी को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को परिचालित कर दिया गया है।

विधि आयोग की रिपोर्ट

32. हम जिस मार्ग को पार करना चाहते हैं, वह विधि आयोग की रिपोर्टों द्वारा समर्थित है। वास्तव में, 1988 में दी गई विधि आयोग की 124 वीं रिपोर्ट में इस पहलू पर चर्चा की गई थी कि उच्च न्यायालय के बकाया के लिए एक नए सिरे से विचार की आवश्यकता थी। उस संदर्भ में, यह माना गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पास कई दशकों का न्यायिक अनुभव है, और उनकी प्रतिभा का उपयोग बढ़ते बकाया के निपटान के लिए किया जा सकता है। उनके कारण

अनुभव होने पर, वे मामलों को निपटाने में जल्दी होते और प्रशासनिक या प्रवेश कार्य के बोझ से मुक्त होने के कारण, वे अपना पूरा समय पुराने मामलों को सुनने में बिता सकते थे। इस प्रकार, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को बकाया पर "बहुआयामी हमले" के एक हिस्से के रूप में देखा गया और इसकी दृढ़ता से सिफारिश की गई।

33. यह पहली बार नहीं है जब इस पहलू पर ध्यान दिया गया हो। 1979 की विधि आयोग की 79 वीं रिपोर्ट ने उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लेने का सुझाव दिया था। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि 2014 की 245 वीं रिपोर्ट में इस बारे में कुछ चिंताएँ व्यक्त की गई थीं।

10 (2016) 5 एस. सी. सी. 1 लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) बनाम के माध्यम से। भारत और ओआरएस का संघ।

अल्पावधि के लिए नियुक्ति और तदर्थ न्यायाधीशों के कार्यकरण और निष्पादन में जवाबदेही के कारण प्रक्रिया।

34 .

हम देख सकते हैं कि 2003 के विधि आयोग की 188 वीं रिपोर्ट में, उच्च न्यायालय में बकाया भुगतान के हित में

आपराधिक मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों में यह महसूस किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत नियुक्तियां करना समय की आवश्यकता है। चिंता बकाया राशि को प्रबंधनीय अनुपात में लाने की थी।

कुछ अन्य विचार

35. हाल ही में प्रकाशित ग्रंथ में एक विचार व्यक्त किया गया था कि अनुच्छेद 224 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का एक बड़ा लाभ है।

ए यह है कि यह ज्ञात न्यायिक प्रतिभा का एक तैयार पूल प्रदान करता है जिस पर सक्षम, स्वच्छ और कुशल होने के लिए भरोसा किया जा सकता है। यह विस्मृत और लंबित मामलों के निपटारे से निपटने के लिए एक प्रभावी हथियार हो सकता है, विशेष रूप से नई न्यायिक नियुक्तियों में अत्यधिक देरी के संदर्भ में। 1 1 36. 22 और 23 अप्रैल 2016 को आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में रिक्तियों को भरने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया गया था।

उच्च न्यायालयों और आपराधिक और दीवानी मामलों में बकाया की समस्या का समाधान करने के लिए अनुच्छेद 224 ए जहां इसे अनुसरण करने का एक तरीका माना जाता था। प्रस्ताव में कहा गया है:

" आगे हल किया कि, की बड़ी विचाराधीनता को ध्यान में रखते हुए दीवानी और आपराधिक मामले, विशेष रूप से आपराधिक अपील जहां दोषी हैं

जेल में हैं और उनके द्वारा की गई सिफारिश का उचित सम्मान कर रहे हैं

2003 में भारत के 17 वें विधि आयोग में, मुख्य न्यायाधीश

सक्रिय रूप से अनुच्छेद 224 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए एक स्रोत के रूप में संविधान

दो साल की अवधि के लिए मामलों के बैकलॉग से निपटना या

पैंसठ वर्ष की आयु, जो भी बाद में हो, पाँच जमा शून्य तक

विचाराधीनता हासिल की जाती है "।

अनुच्छेद 224 ए पहले का उपाय:

37. हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 224 ए काफी हद तक एक निष्क्रिय प्रावधान रहा है, जिसके आह्वान के केवल तीन दर्ज किए गए उदाहरण हैं। 11 1 ए. एम. सिंघवी, "बीटिंग द बैकलॉग रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया", एस. खुर्शीद एट में। अल। , (एडीएस.) न्यायिक समीक्षा-प्रक्रिया, शक्तियाँ और समस्याएं (उपेंद्र बख्शी के सम्मान में निबंध), (कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2020), पृष्ठ 53।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूरज भान को 2.2.1971 पर पद छोड़ने के बाद 23.11.1972 पर एक तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए या उनके निपटारे तक के लिए थी।

चुनाव याचिकाएँ, जो भी पहले हों, उन्हें सौंपी गईं। इस प्रकार, यह एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ था।

38. मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. वेणुगोपाल तीन साल से भी कम समय के लिए न्यायाधीश थे और अपनी सेवानिवृत्ति के करीब, उन्हें कोयंबटूर शहर में आई. डी. 1 पर हुई कुछ घटनाओं की जांच के लिए एक जांच आयोग में नियुक्त किया गया था और फिर से आई. डी. 2 के आदेश द्वारा सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग में नियुक्त किया गया था। उन्हें वर्ष 1982 में तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था और फिर से उनका कार्यकाल 19.8.1983 से एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था।

39. हाल ही में वर्ष 2007 में न्यायमूर्ति ओ. पी. श्रीवास्तव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष पीठ के सदस्यों में से एक थे, जिसका उद्देश्य मामले की निरंतर और निरंतर सुनवाई को सुविधाजनक बनाना था।

आगे की चुनौतीः

40. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बढ़ते बकाया और मौजूदा रिक्तियों को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने की आवश्यकता है

विशेष रूप से पुराने मामलों को निपटाने के लिए एक कार्यप्रणाली के रूप में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना जो प्रतिभा का एक तैयार समूह है (निश्चित रूप से उनकी सहमति के अधीन)। स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या का उपयोग वर्तमान और पुराने मामलों के लिए किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश प्रशासनिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त होते हैं। वे कर सकते हैं।

संविधान। इसे एक मृत पत्र नहीं बनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब आवश्यकता इतनी अधिक हो। 42. हम विद्वान महान्यायवादी की इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यद्यपि भारत सरकार का उपरोक्त का सैद्धांतिक रूप से कोई विरोध नहीं हो सकता है, लेकिन पहले मौजूदा रिक्तियों को अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्लायस (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से भरा जाना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ।

में। हमारे विचार में, यह एक आत्म-पराजित करने वाला तर्क होगा क्योंकि वर्तमान में अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने का कारण यह है कि

रिक्तियों को भरना और बढ़ते बकाया। हालाँकि, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि इसका उद्देश्य उच्च न्यायालय की नियमित संख्या में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों के बजाय तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना नहीं है।

(श्री विकास सिंह, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष) द्वारा व्यक्त की गई आशंका। यह प्रावधान ही यह स्पष्ट करता है कि यह किसी भी तरह से नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित या सीमित नहीं करता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति मांगी जाती है कि वे एक सदस्य के रूप में बैठ कर कार्य करें।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यह कहा जा सकता है कि यह काफी हद तक एक अस्थायी कार्यप्रणाली है जब तक कि सभी नियुक्ति प्रक्रियाएं लागू नहीं हो जाती हैं, हालांकि उपरोक्त अनुच्छेद का सहारा लेने का एकमात्र कारण यह नहीं हो सकता है।

43. हमें इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहेंगे।

जिन रिक्तियों के लिए इस अनुच्छेद का सहारा लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई है, उनमें से 20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां न हों। हम इस आंकड़े को नहीं रखते हैं नील रंग से बाहर लेकिन पूरे परिदृश्य को देखते हुए जहां कभी-कभी किसी विशेष स्तर पर आवश्यक प्रतिभा को ढूंढना मुश्किल हो सकता है जिसे कुछ समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हालाँकि, निश्चित रूप से, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेकर बड़ी संख्या में रिक्तियों के लिए कोई या बहुत कम सिफारिशें की जाती हैं।

44. हमें वर्तमान नियुक्तियाँ करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के पहलू की ओर मुड़ना पड़ सकता है। भारत के संविधान ने प्रावधान नहीं किया था

कॉलेजियम प्रणाली के लिए। यह एक ऐसा पहलू है जो एस. पी. गुप्ता बनाम के मामलों से सामने आया है। भारत संघ, 1 2 अभिलेख पर उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता बनाम। भारत संघ, 1 3 और पुनः: 1998 का विशेष संदर्भ 1 और इसके संशोधित रूप तब से अस्तित्व में हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लाने के सरकार के प्रयास ने संवैधानिक जनादेश को पारित नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और ए. एन. आर. में खारिज कर दिया गया। 1 2 (1982) 2 एससीआर 365। 13 (1993) 4 एससीसी 441। 14 ए. आई. आर 1999 एस. सी 1.

वी. भारत संघ। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपरोक्त परिप्रेक्षय में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत निहित प्राधिकरण को संबंधित न्यायाधीश से पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी, और यह कि

सिफारिश को उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। बेशक, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति (जैसा कि सलाह दी गई है) आवश्यक है-लेकिन इस नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की है, जो अपनी न्यायिक नियुक्ति के लिए पूरी प्रक्रिया से गुजरा है, अधिकतम तीन महीने की अवधि सभी चरणों से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कम से कम तीन महीने पहले प्रारंभिक कदम उठाते हैं तो यह सुविधा होगी ताकि इस संबंध में कोई अनावश्यक देरी न हो।

45. हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि हम स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में अंतर के बारे में काफी सचेत हैं, और

उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश। इस प्रकार, न्यायाधीशों की नियुक्ति के दो परिदृश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उत्पन्न होते हैं और

नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हाथ और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जानी चाहिए (अनुच्छेद 224 अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति को संदर्भित करता है)। दूसरी ओर, संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति।

यद्यपि भारत के संविधान के उसी अध्याय 5 का हिस्सा बनता है, यह एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए किसी भी व्यक्ति से अनुरोध करने का प्रावधान करता है जो उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभाल चुका है और उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करता है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर भारत सरकार के न्याय विभाग के सचिव को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सूचित करना होता है और आवश्यक आदेश जारी करना होता है।

एमओपी के अनुसार भारत के राजपत्र में अधिसूचना। स्पष्टता के लिए हम कर सकते हैं

जोड़ दें कि जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय हैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून, एमओपी को एक प्रशासनिक चर्चा के तहत तैयार किया गया है और इसे इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून नहीं कहा जा सकता है। यह हमेशा विविध हो सकता है।

46. उपरोक्त अभ्यास को पूरा करने में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस पहलू पर अपना विचार देना होगा कि - 15 2015 11 स्केल 1.

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कौन उपयुक्त न्यायाधीश होगा और उस व्यक्ति को किस समय अवधि के लिए नियुक्त किया जाना है। यह बदले में विभिन्न प्रकार के मामलों के लंबित होने के आंकड़ों और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में न्यायाधीश की विशेषज्ञता पर निर्भर करेगा जहां बड़ी मात्रा में लंबित हैं-क्योंकि इसका उद्देश्य पुराने मामलों को निपटाना है जो प्रणाली में फंसे हुए हैं। प्रणाली में पारदर्शिता रखने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर इस तरह का विचार आवश्यक हो जाता है।

47. उपरोक्त संदर्भ में, हमने इस मामले को देखने के लिए इस न्यायालय की सहायता करने वाले विभिन्न वरिष्ठ वकीलों और श्री अरविंद दातार से बात की। वरिष्ठ वकील इसका समन्वय करें ताकि हमारे पास सामान्य सुझाव हो सकें

अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने के लिए तौर-तरीकों को तैयार करने में हमारी सहायता करने के लिए।

48. भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले एक तदर्थ न्यायाधीश के लिए स्वीकार्य भत्तों के पहलू पर, यह कहना तुच्छ है कि इसके बावजूद

49. श्री दातार, याचिकाकर्ताओं या अन्य वकीलों द्वारा हमारे सामने रखे गए विभिन्न सुझावों का एक सामान्य विषय यह है कि प्रावधान को सक्रिय करने की एक निश्चित आवश्यकता है। विभिन्न पहलुओं के संबंध में धारणाओं में अंतर हैं जैसे कि प्रावधान को सक्रिय करने के लिए प्रेरक बिंदु, प्रतिबंध की स्थिति का सुझाव, नियुक्ति की कार्यप्रणाली, तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका, आयु सीमा, नियुक्ति का कार्यकाल आदि। इस प्रकार, हमने इन विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों की सलाह सुनी है। इस निष्क्रिय प्रावधान का सहारा लेने में एकरूपता के कुछ तत्व को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देश देने की एक सामान्य आवश्यकता महसूस की गई है। यह भी एक सामान्य आधार है, जिसके साथ हम सहमत हैं कि दिशानिर्देशों को निर्धारित करते समय, इस प्रयोग की आवधिक समीक्षा की आवश्यकता होगी और उन दिशानिर्देशों को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के अवसर हो सकते हैं जिन्हें हम निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। अतः वर्तमान कार्यवाही को बंद करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसके बजाय संविधान के अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने के सबसे प्रभावी तरीके पर काम करने के लिए वर्तमान कार्यवाही में अनिवार्य रूप से जारी रखने की अवधारणा उचित होगी।

50. निरंतरता का सिद्धांत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र का हिस्सा है और इस शब्द का उपयोग पहली बार [2021] 3 एस. सी. आर. में किया गया था।

विनीत नारायण बनाम। भारत संघ "। जारी करने की प्रथा जारी है

कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों को "निरंतर आदेश" के रूप में लेबल किया गया था। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि एक रिट उपचार के विपरीत, एक निरंतर आदेश एक नवीन प्रक्रिया है, न कि एक ठोस प्रक्रिया जो न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आधार प्रदान करती है कि किसी निर्णय का लाभ सही धारकों द्वारा लिया जा सकता है, और इसकी प्राप्ति सही नहीं है।

प्रशासनिक और/या राजनीतिक हठधर्मिता से बाधित। यह यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया एक साधन है कि न्याय का प्रशासन मूर्त लाभ में बदल जाए।

51. हमने थोड़ा अलग के बारे में गहराई से सोचा है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों और भारत संघ द्वारा हलफनामों के माध्यम से हमारे सामने रखे गए दृष्टिकोण। इस बात पर जोर देते हुए कि अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेना आज की आवश्यकता है, और संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रदत्त शक्तियों के विस्तार को बाधित किए बिना, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की सहायता के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित करना और प्रावधान को 'लाइव लेटर' बनाना उचित होगा।

52. हमने, इस ओर से, भारत संघ के दिनांक 13.4.2021 के अतिरिक्त हलफनामे में छुए गए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। में। वास्तव में, श्री दातार का प्रतिक्रिया नोट इन विभिन्न मापदंडों पर आधारित है और इसका उद्देश्य हमसे मांगे गए दिशानिर्देशों के लिए एक ठोस प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। हम देख सकते हैं कि यह एक सामान्य मामला है कि वर्तमान कार्यवाही प्रतिकूल नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 224 ए के प्रावधानों को एक व्यावहारिक और कार्यात्मक व्यवस्था बनाने का एक तरीका है। अब हम दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

दिशानिर्देश:

आई. सक्रियण के लिए ट्रिगर प्वाइंट:

53. अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विवेकाधिकार बाधित नहीं है, लेकिन जैसा कि कहा गया है, कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं। निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग पारदर्शी तरीके से किया जा सके। प्रेरक बिंदु एकवचन नहीं हो सकता है और जहां यह उत्पन्न होता है वहां एक से अधिक संभावनाएं हो सकती हैं -

ए। यदि रिक्तियां स्वीकृत संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक हैं।

बी। एक विशेष श्रेणी के मामले पांच से अधिक समय से लंबित हैं।

वर्षों से।

16 (1998) 1 एस. सी. सी. 226 लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलैयास (आर. ई. टी. डी.) बनाम के माध्यम से। भारत और ओआरएस का संघ।

सी। लंबित मामलों में से 10 प्रतिशत से अधिक मामले पांच से अधिक हैं।

बरसों पुराना।

डी। निपटान की दर का प्रतिशत उससे कम है

किसी विशेष विषय में मामलों की स्थापना या

सामान्यतः न्यायालय में।

ई. भले ही कई पुराने मामले लंबित न हों, लेकिन अधिकार क्षेत्र के आधार पर, बढ़ते बकाया की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है यदि निपटान की दर लगातार दर से कम है।

एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि में दाखिल करना।

ii. प्रतिबंध की स्थितिः

54. हम पहले ही देख चुके हैं कि अनुच्छेद 224 ए का सहारा नियमित नियुक्तियों का विकल्प नहीं है। इस पहलू पर जोर देने के लिए, हम स्पष्ट करते हैं कि यदि नियमित रिक्तियों में से 20 प्रतिशत से अधिक के लिए सिफारिशें नहीं की गई हैं तो अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

55. इस संबंध में हम अपने समक्ष रखे गए आंकड़ों पर ध्यान दे सकते हैं जो यह सुझाव देते हैं कि केवल दस उच्च न्यायालयों में कम मामले हैं।

20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां; सात उच्च न्यायालयों में स्थायी नियुक्तियों में 10 प्रतिशत से कम रिक्तियां हैं, लेकिन फिर अतिरिक्त न्यायाधीश हो सकते हैं और ऐसे मामले हैं जो विचाराधीन हैं। इस प्रकार, हमने जो मापदंड अपनाया है वह यह है कि, कम से कम, सिफारिशें

अनुच्छेद 224 ए का सहारा लेने के लिए 20 प्रतिशत से अधिक रिक्तियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था।

iii. पूर्व-सिफारिश प्रक्रियाः

ए। गुणवत्ता और गुणवत्ता दोनों में सिफारिशकर्ताओं का पिछला प्रदर्शन

चयन के लिए मामलों के निपटारे की मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

क्योंकि इसका उद्देश्य बैकलॉग को साफ करना है।

बी। मुख्य न्यायाधीश को न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों का एक पैनल तैयार करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से यह सेवानिवृत्ति के अवसर पर न्यायाधीशों और आम तौर पर उन न्यायाधीशों

के संबंध में होगा जो हाल ही में अधिमानतः एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त हुए हैं। हालाँकि, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ न्यायाधीश पहले ही सेवानिवृत्त हो गया हो, लेकिन किसी विशेष विषय में उसकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। एक ऐसा परिदृश्य भी हो सकता है जहाँ न्यायाधीश कुछ लेना पसंद कर सकते हैं।

एक छोटी पारी के बावजूद दूसरी पारी शुरू करने से पहले समय की छुट्टी। पैनल की तैयारी में, सहमति लेने और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट तैयार करने के लिए

21] 3 एस सी आर।

विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश द्वारा संबंधित न्यायाधीश के साथ व्यक्तिगत बातचीत की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय।

iv. नियुक्ति की कार्यप्रणाली:

56. हम पहले ही देख चुके हैं कि एमओपी के पैरा 24 में संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हम. उन्होंने यह भी देखा है कि यह संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत इस संबंध में निर्धारित कानून नहीं है, लेकिन पहले कदम के रूप में एमओपी के पैरा 24 में निर्धारित इस प्रक्रिया का पालन करना अधिक उचित हो सकता है ताकि प्रगति और बाधाओं, यदि कोई हो, को देखा जा सके। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि चूंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति पहले से ही नियुक्ति के वारंट के माध्यम से की जाती है, इसलिए ऐसे मामले में मामले को आईबी या अन्य एजेंसियों को भेजने का अवसर उत्पन्न नहीं होगा, जिससे समय अवधि कम हो जाएगी।

वी. प्रक्रिया को पूरा करने का समय:

57. यह आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सिफारिशें छह महीने पहले की जानी चाहिए

इस अवधारणा से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 या 224 के तहत न्यायाधीश की नियमित नियुक्ति के मामले में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उक्त अवधि की आवश्यकता होनी चाहिए। आवश्यक नहीं होने वाले पहलुओं की संख्या को देखते हुए

अनुच्छेद 224ए के तहत नियुक्ति के लिए हमारा विचार है कि लगभग तीन महीने की अवधि एक प्रक्रिया के लिए पर्याप्त होनी चाहिए सिफारिश और, इस प्रकार, आदर्श रूप से एक मुख्य न्यायाधीश को ऐसी नियुक्ति के लिए तीन महीने पहले प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

vi. नियुक्ति की अवधि:

58. जिस कार्यकाल के लिए एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, वह भिन्न हो सकता है।

आवश्यकता के आधार पर लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि निश्चितता का एक तत्व देने और उस उद्देश्य को देखने के लिए जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, आम तौर पर नियुक्ति दो से तीन के बीच की अवधि के लिए होनी चाहिए। वर्षों से।

vii. नियुक्तियों की संख्या:

न्यायालय में, तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या उच्च न्यायालय में दो से पांच की सीमा में होनी चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक तदर्थ न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या का हिस्सा नहीं होंगे। जिन्हें वे नियुक्त करते हैं।

लोक प्रहरी अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुकलियास (आर. ई. टी. डी.) के माध्यम से बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

viii. तदर्थ न्यायाधीशों की भूमिका:

60. इसका प्राथमिक उद्देश्य लंबे समय से लंबित बकाया से निपटना है।

इस प्रकार नियुक्त तदर्थ न्यायाधीशों को पाँच साल से अधिक पुराने मामले सौंपकर उक्त उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। हालाँकि, यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर प्रभाव नहीं डालेगा, यदि आवश्यकताएँ पाँच साल से कम पुराने मामलों से निपटने के लिए भी किसी विशेष विषय की मांग करती हैं, हालाँकि प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि एक तदर्थ न्यायाधीश को कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि इस तरह का कार्य तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के उद्देश्य को विफल कर देगा, जो कि पुराने बकाया को समाप्त करना है।

मामले।

61. उठाए गए मुद्दों में से एक खंड पीठ द्वारा सुने जाने वाले मामलों में एक तदर्थ न्यायाधीश और वर्तमान न्यायाधीश की पीठों के गठन का मुद्दा है और किसकी अध्यक्षता होगी। हमारा विचार है कि वर्तमान में खंड पीठ का गठन केवल तदर्थ न्यायाधीशों से किया जा सकता है क्योंकि ये पुराने मामले हैं जिन पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रोफ़ाइल और काम की प्रकृति के कारण

तदर्थ न्यायाधीशों द्वारा निष्पादित, एक तदर्थ न्यायाधीश के लिए कोई अन्य कानूनी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह मध्यस्थता का सलाहकार हो।

या उपस्थिति।

ix. परिलब्धि और भत्ते:

62. हम आदेश के मूल भाग में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक तदर्थ न्यायाधीश के परिलब्धि और भत्ते समान होने चाहिए।

समय के सुसंगत स्तर पर उस न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के साथ पेंशन को घटाकर। यह न्यायाधीश की गरिमा को बनाए रखने के साथ-साथ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी आवश्यक है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों के संदर्भ में हमारे द्वारा अन्य सभी कानूनी कार्यों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

63. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि भुगतान किया जाने वाला परिलब्धि भारत की संचित निधि पर एक शुल्क होगा जिसमें वेतन और

भत्ते। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि यह एक गलत धारणा है कि यदि राज्य सरकार द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों को कुछ अनुलाभ उपलब्ध कराए जाते हैं तो राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का कारण रिक्तियों का अस्तित्व है और यदि इन रिक्तियों को भरा जाता तो

राज्य सरकार इन खर्चों को किसी भी तरह वहन करती। किसी भी मामले में तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है और इस प्रकार, रिक्तियों के अस्तित्व के परिणामस्वरूप वास्तव में राज्य सरकार (ओं), सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के लिए बचत होती है

21] 3 एस सी आर।

जो अन्यथा उनके भत्तों और भत्तों के रूप में खर्च की गई राशि होगी।

64. हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब हम भत्ते/भत्तों/का उल्लेख करते हैं।

स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य सभी लाभ तदर्थ न्यायाधीशों को दिए जाएंगे। स्पष्टता के लिए हम कह सकते हैं कि जहां तक आवास का संबंध है, या तो किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए या आवास भत्ता उन्हीं नियमों और शर्तों पर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए

तदर्थ न्यायाधीश को वही परिलब्धि, भत्ते और लाभ प्राप्त होंगे जो स्थायी/अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए स्वीकार्य हैं। हम कर सकते हैं

ध्यान दें कि भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची, भाग डी उन परिलब्धियों और लाभों को निर्धारित करती है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रदान किए जाने हैं।

निष्कर्ष:

65. हमने पहला कदम इस उम्मीद और आकांक्षा के साथ उठाया है कि सभी संबंधित सहयोग करेंगे और सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त न्यायाधीश आएंगे। न्यायपालिका के व्यापक हित में अपनी सेवाएं प्रदान करें। दिशानिर्देश संपूर्ण नहीं हो सकते हैं और वह भी इस स्तर पर। यदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो हम उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। हमें अलग रहना होगा।

इस मार्ग को तैयार करने के लिए यदि कोई आशंकाएं हैं और हमें विश्वास है कि आगे बढ़ने का एक रास्ता होगा।

66. यह देखने के लिए कि शुरुआत कैसे की गई है, एक निरंतर आदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चार महीने के बाद सूची बनाएं न्याय मंत्रालय प्रगति के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करेगा।

नि

र्देश जारी किए गए।

निधि जैन